भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1239
उत्तर देने की तारीख 31.07.2023

एमएसएमई द्वारा संभावित उन्नत प्रौद्योगिकी

1239. **श्री कार्तिकेय शर्माः**

क्या ***सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र में एमएसएमई द्वारा कौन-कौन सी विशिष्ट उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई जानी अपेक्षित है और किस तरह से उन्नत प्रौद्योगिकी उनके विकास और सफलता में योगदान देती है;

(ख) पर्यटन क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और इसे मजबूत बनाने के लिए वर्ष 2023 में एमएसएमई के अनुकूल कौन-कौन सी नीतियां लागू करने की योजना है;

(ग) पर्यटन क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कितनी वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है; और

(घ) पर्यटन क्षेत्र में व्यापार सुगमता की तर्ज पर एमएसएमई के लिए एक निर्बाध और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने तथा उनकी समग्र सफलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योग हितधारकों के साथ किस तरह से सहयोग करती है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (घ): पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट और मोबाइल ऐप, 360 डिग्री वर्चुअल टूर, utsav.gov.in का शुभारंभ, आवास इकाइयों के वर्गीकरण का डिजिटलीकरण और यात्रा व्यापार सेवा प्रदाताओं की पहचान, ऑनलाइन शिक्षण के लिए अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम, आईआईटीएफ/गाइडों के लिए ई-मार्केटप्लेस, आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) शामिल हैं।

इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने हाल ही में कई पहल की हैं, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ एमएसएमई की दोहरी मानदंड आधारित परिभाषा को अपनाना, पंजीकरण में आसानी के लिए उद्यम पोर्टल का शुभारंभ, उद्यम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पोर्टलों के साथ उद्यम का एकीकरण, 3 वर्षों के लिए गैर-कर लाभ का विस्तार शामिल है।

(ग): एमएसएमई मंत्रालय ऋण सहायता, औपचारिकीकरण, प्रौद्योगिकीय सहायता, अवसंरचना का विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा बाजार सहायता के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यानवयन करता है। स्कीमों/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन शामिल हैं। पर्यटन क्षेत्र में लगे उद्यम पंजीकृत एमएसएमई इस मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(घ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है, जो "आत्मनिर्भर भारत" के विजन के साथ पंक्तिबद्ध है, जिसका उद्देश्य डिजिटलीकरण की सुविधा प्रदान करना और एमएसएमई सहित आतिथ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देना है। यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के भौगोलिक विस्तार, इसके आकार, संरचना और मौजूदा क्षमता पर एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है ताकि उद्योग को प्रदर्शन, स्टार वर्गीकरण, गंतव्यों, आकर्षणों, कार्यक्रमों, ग्राहक प्रतिपुष्टि आदि जैसी प्रासंगिक सेवाएं पेश की जा सके।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात 'उद्यम पंजीकरण' (www.udyamregistration.gov.in) के माध्यम से स्थायी पंजीकरण प्रदान करके पर्यटन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए एक सहज और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए समावेशन और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान कर रहा है। उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क, पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर सक्रिय क्यूआर कोड वाले ई-प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं।

****